न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मंदसौर

PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2017/2445

तोफिक खॉं पुत्र श्री मंजीद खॉं मेवाती
निवासी – खिलचीपुरा तहसील व जिला मंदसौर (म.प्र.)

.... आवेदक

...... द्वारा आज दि. 28.8.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला मंदसौर (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत–1 तहसील मंदसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 219/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध म.प्र.भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/मन्दसौर/भू.रा./2017/2945

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–9–2017	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा स्वयं पूर्व में सीमांकन कराया गया है । आवेदक के अभिभाषक द्वारा बताया गया कि वह उनके ही आवेदन पर हुए सीमांकन से सहमत नहीं हैं तथा दोबारा सीमांकन कराना चाहते हैं, इसलिए यह निगरानी प्रस्तुत की है । उक्त परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक द्वारा विधिवत पुनः सीमांकन का आवेदन देने पर वह उनकी भूमि का विधिवत नियमानुसार सीमांकन करें । यह प्रकरण समाप्त किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	